

राजस्थान सरकार
निदेशालय कौष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एफ 2 (क) (एम-321)/अलेसे-1/1751-52


दिनांक-20.09.2012

कार्यालय आदेश संख्या19/2012-13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 21.04.1955 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 08.07.1982 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 08.07.2009 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय एसीपी पीबी-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं रूपये 4800/- ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए. सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं।



निदेशक

क्रमांक- एफ 2 (क) (एम-321)/अलेसे-1/1751-52

दिनांक-20.09.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष - जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान बारां।
2. श्री महेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय- जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान बारां।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)